कार्यालय मण्डलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम कुमाऊं क्षेत्र

पत्रांक 2097 केआर/4–भूमि–भवन/ 2026

दिनांक 04.07.2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग,
रामनगर (नैनीताल)।

विषयः– रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर–रानीखेत मार्ग से लगी हुई अवशेष भूमि 0.120 हे0 को लीज पर दिए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के ई0डी0एस0 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–4179/12–1 दिनांक 24.06.2026 का संदर्भ लेने का कष्ट करेंगे। जिसके द्वारा प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में रामनगर बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर–रानीखेत मार्ग से लगी हुए अवशेष भूमि 0.120 है0 को लीज पर दिए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव हेतु उत्तरालेख निम्न प्रकार सादर प्रेषित किया जा रहा है–

क्रम सं0	ई0डी0एस0	उत्तरालेख
1.	Ensure that the checklist of 59 documents provided by the gol regarding the proposal is signed submitted by the dfo.	भारत सरकार द्वारा प्रेषित 59 डॉक्यूमेंटस की चैकलिस्ट पूर्ण कर संलग्न की जा रही है।(संलग्नक–01)
2.	The administrative and financial sanctions issued by te government regarding the proposal must be attached.	परियोजना से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–03)

अतः उपरोक्तानुसार मय आख्या मय संलग्नकों सहित सादर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

(संलग्न–उपरोक्तानुसार)

भवदीय

(पूजा जोशी)
मंडलीय प्रबन्धक (संचालन)
काठगोदाम

परियोजना का नामः–रामनगर बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर–रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष भूमि 0.120 है0 को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0 सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या	संलग्न हां/नहीं/लागू नहीं
1.	सक्षम अधिकारी/ऑन–लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण–पत्र	6	हां
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–1 (प्रयोक्ता हेतु)	8	हां
3	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–2 (प्रभागीय वनाधिकारी हेतु)	10	हां
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3 (नोडल कार्यालय हेतु)	13	हां
5	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	15	हां
6	सम्बन्धित विभागों द्वारा फील्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।	18	हां
7	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट। (Site Inspection Report)	19	हां
8	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अगल–अलग रंगों से दर्शाया गया हो।	36	हां
9	डिजिटल मैप व सी0डी0 में प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 रिडिंग के साथ दर्शाया गया।	37	हां
10	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	05	हां
11	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	38	हां
12	वैकल्पिक संरेखण तलाशे जाने एवं उन्हे निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	39	हां
13	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की मॉग न्यूनतम होने का प्रमाण–पत्र।	40	हां
14	प्रभावित भूमि का लैण्ड शैड्यूल।	41	हां
15	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	45	हां
16	बार चार्ट। (प्रस्तावित भूमि का)	46	हां
17	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण–पत्र।	47	हां
18	प्रभावित होने वाले वृक्षो का प्रजातिवार/व्यासवार विवरण।	48	हां
19	प्रभावित होने वाले वृक्षो का मूल्यॉकन/सारांश।	52	हां
20	वास्तविक रूप से काट जाने वाले वृक्षो का विवरण।	53	हां
21	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण–पत्र।	56	हां
22	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	55	हां
23	न्यूनतम वृक्षो के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र।	57	हां
24	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र। (CCF IT के स्तर से जारी)	58,58A,59	हां
25	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण–पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)		
26	राष्ट्रीय पार्को/वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।		
27	प्रभावित होने वाले ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	60	हां
28	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में लागत लाभ विशलेषण की सूचना अंकित करना। लागत लाभ विशलेषण के प्रपत्रों में परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं पारस्थितिकीय संतुलन का आंकलन। (5.00 हे0 से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	62	हां
29	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र।	63	हां
30	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	67	हां
31	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले–आउट प्लान	68	हां

क्र0 सं0	प्रपत्र	पृष्ठ संख्या	संलग्न हां/नहीं/लागू नहीं
32	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आख्या।	70	हां
33	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	71	हां
34	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉरक फोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	75	हां
35	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	76	हां
36	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	77	हां
37	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	78	हां
38	परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	79	हां
39	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/ परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	80	हां
40	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	81	हां
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन पर वृक्षारोपण की दरा वर्षीय योजना का प्राक्कलन मय मानचित्र। 1.0 है0 से कम का Proposal है अतः इसमें 10 गुना पौधों की वृक्षारोपण योजना	82	हां
42	रोपण किये जाने वाले 10 गुना पौधों के रोपण स्थल का उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	83	हां
43	1:50,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हों तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	84	हां
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दरा गुना/बीनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन, मानचित्र उपयुक्ता प्रमाण-पत्र	85	हां
45	प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	लागू नहीं	लागू नहीं
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	लागू नहीं	लागू नहीं
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्राक्कलन।	86	हां
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन।	89	हां
49	एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	90	हां
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्राक्कलन।	91	हां
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	A	हां
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	93	हां
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	94	लागू नहीं
54	मक डिस्पोजल योजना अथवा निस्तारण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र	88	हां
55	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	87	नहीं
56	भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-FC-11/43/2021-FC दिनांक 16.01.2023 में निम्न विन्दुओं का उल्लेख किया गया है		
a.	In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.		(प्रमाण पत्र संलग्न)
b.	The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited In to the CAMPA account.		
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	A	लागू नहीं

प्रपत्र	पृष्ठ संख्या	संलग्न हां/नहीं/लागू नहीं
प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Report Form-A Part-IIके अतिरिक्त सूचना में अपलोड़ की जानी अपेक्षित है।	85	हां
फेक्टशीट शीट पूर्ण विवरण सहित	01	हां

योक्ता अभिकरण
एडलीय प्रबन्धक (संचालन)
उत्तराखण्ड परिवहन निगम
काठगोदाम

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर उत्तर प्रभाग, रामनगर

संख्या–383845/2026/ई–44653/55/IX-2/2022

प्रेषक,

बृजेश कुमार सन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2026

विषय– रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून के पत्रांक–41/2025, दिनांक 17.03.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु टी0ए0सी, नियोजन के परीक्षणोंपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पुनरीक्षित लागत ₹ 5014.46 लाख (पूर्व में अनुमोदित/स्वीकृत लागत ₹ 2857.34 लाख सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित पूर्व में विभिन्न शासनादेशों द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 2857.34 लाख को कम करते हुए अवशेष धनराशि ₹ 2157.12 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः–44(1)/PF-S/2025-26(CAPEX)-Uttarakhand, दिनांक 24.07.2025 द्वारा Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) 2025-26 Part-I(Untied) के अन्तर्गत रामनगर बस टर्मिनल निर्माण परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रू0 5.00 करोड़ (रूपये पाँच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. उपरोक्त धनराशि विषयगत कार्य हेतु Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment For 2025-26 Part-I (Untied) योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किस्त के रूप में स्वीकृत की जा रही है।
2. उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत धनराशि से ही कार्य को समयबद्ध/गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं आगणन का पुनरीक्षण किसी स्थिति में स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
3. उक्त स्वीकृत धनराशि तत्काल निर्धारित कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी को उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि उसी योजना पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में प्रश्नगत योजना की सम्पन्न व्यय–वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त संख्या 637/परिवहन विभाग/ई0एफ0सी0/रा0यो0आ0/2025 दिनांक 24.03.2026 के कार्यवृत्त (छायाप्रति

संलग्न) में निहित शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित, 2025, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. योजना हेतु बजट/धनराशि की समुचित व्यवस्था कर ली जाय। योजना हेतु SASCIमें प्रस्तावित धनराशि को अन्य किसी योजना में स्थानान्तरित न किया जाय।

9. जांच समिति द्वारा आख्या में भविष्य में भवन विस्तार के दृष्टिगत पुनरीक्षित Electric Load के आधार पर Transformer, HT Panel, Cable, MCB, DB, DG Set, UPS, HVAC, Escalator & Liftआदि की क्षमता के अनुसार प्रावधान किये जाने का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में परिवहन विभाग अपने स्तर पर आवश्यकतानुरूप मितव्ययिता के दृष्टिकोण से ही प्रावधान सुनिश्चित करें।

10. निर्माण कार्य NBC and Uttarakhand Building Bye-Lawsएवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जाय। परिवहन विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि बजट के आधार पर भवनों का निर्माण इस प्रकार से हो कि निर्मित भवन को उपयोग में लाया जा सके। अपरिहार्य परिस्थिति में बजट की अनुपलब्धता के कारण कार्य को रोकना भी पड़े तो तकनीकी दृष्टिकोण से सुरक्षित Stage पर ही रोका जाय।

11. निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिक्ति कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।

12. अग्नि सुरक्षा हेतु परिसर में Inbuilt Fire Safety Mechanism का प्रावधान किया जाय तथा नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जाए। कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि सुरक्षा के कार्यों में प्राविधान को अग्नि सुरक्षा विभाग से वैट अवश्य लगाया जाए तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात अग्नि सुरक्षा के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

13. परिसर में विद्युतीकरण के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाय। समस्त विद्युत उपकरणों हेतु आई0ई0सी0–62561–7 के मानकों के अनुसार Earthing का कार्य तथा आकाशीय विद्युत से बचाव हेतु Lightening Protection System IEC-62305 मानकों के अनुरूप स्थापित किया जाय। कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व विद्युतीकरण के प्रावधानों को संबंधित विभाग से वैट करा लिया जाय तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युतीकरण के कार्यों को मानकों के अनुसार पूर्ण किये जाने का प्रमाण पत्र विद्युत सुरक्षा विभाग से अवश्य प्राप्त किया जाय। विद्युतीकरण के कार्यों को विद्युत/यांत्रिक अभियंताओं से ही सम्पादित कराया जाय।

14. निर्माण कार्य की तृतीय पक्ष गुणवत्त परीक्षण अवश्य सुनिश्चित किया जाय।

15. योजना कियान्वयन हेतु सभी आवश्यक नियम एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16. आगणन में दरें डी0एस0आर0 2023 की ली गई है, जिन मदों की दरें शिड्यूल ऑफ रेट्स में उपलब्ध नहीं हैं, उन मदों की सामग्री की दरों को जैम/बाजार से नियमानुसार प्राप्त करते हुए दर विश्लेषित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन के उपरान्त ही इन मदों का कार्य कराया जाय।

17. योजना कियान्वयन में Cost Effectiveness and Energy Efficiency के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

18. परिसर में स्वतः स्वच्छता की निरन्तर व्यवस्था हेतु प्रावधान अवश्य किये जाय।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–007 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य, 800–अन्य भवन, 26–विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य(SASCI) के मानक मद 53–वृहद निर्माण के नामें डाला जायेगा।

4. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या (आई0डी0 संलग्न) से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर जनित क्रमांकः–383826/2026, दिनांक 30.03.2026 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

Digitally signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 31-03-2026
10:04:36

(बृजेश कुमार सन्त)
सचिव।

संख्याः–383845 (1)/2026/ई–44653/55/IX-2/2022,तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, नैनीताल।
6– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
7– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी।
8– गार्डफाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Pradeep Mohan Nautiyal
Date: 31-03-2026
10:33:35

(प्रदीप मोहन नौटियाल)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)

Secretary-Secretary, Finance(S013)

HOD-Transport Commissioner(4063)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या -007

आवंटन आई डी-S26030070083
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2026

लेखा शीर्षक	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	80-सामान्य
	800-अन्य भवन	26-विभिन्न विभागों में अवस्थापना कार्य (SASCI)
	00--	Voted

4	0	5	9	8	0	8	0	0	2	6	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	16852157600	50000000	0	16902157600
योग	16852157600	50000000	0	16902157600

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.5,00,00,000 (Rupees Five Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

Digitally signed by
NAVNEET PANDE
Date: 30-03-2026
16:22:40

संख्या– /2021/81/IX-2/2010

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

विषय– जनपद नैनीताल के रामनगर में आई0एस0बी0टी0 निर्माण परियोजना के प्रथम चरण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण हेतु शासनादेश सं0 26/2016/81/IX/2010, दिनांक 22.04.2016 द्वारा प्रकियात्मक कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 में धनराशि ₹13.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। तद्क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्रांक 165/HQ/X/Development of Bus Terminuses/19, दिनांक 08.11.2019 के क्रम में जनपद नैनीताल के रामनगर में आई0एस0बी0टी0 निर्माण परियोजना के प्रथम चरण में भूमि की चाहरदीवारी, समतलीकरण एवं निगम की तात्कालिक आवश्यकतानुसार अस्थायी कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा प्रेषित आगणन की आंकलित धनराशि ₹227.18 लाख के सापेक्ष विभागीय औचित्यपूर्ण अनुमोदित धनराशि ₹221.28 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में विषयगत परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि ₹200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में उप परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–440/नियोजन/13–144/2021 दिनांक 04.12.2021 के क्रम में प्रश्नगत निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 21.280 लाख (रूपये इक्कीस लाख अठाईस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006), दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः..2..

J.E
F.C
24/12/21

New & Supllimentry tippri & Budgat Nigam.doc 10/09

उत्तराखण्ड परिवहन निगम
मुख्यालय, देहरादून
डाक प्राप्ति
दि0 24/12/2021 समय........

2– उक्त स्वीकृत धनराशि तत्काल निर्धारित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय–050–भूमि तथा भवन–13–रामनगर में आई0एस0बी0टी0 निर्माण-53 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह स्वीकृति वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–423/9(150)–2019/XXVii/(1)/2021, दिनांक 31.03.2021 के अन्तर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

पृ०संख्या-1172(1)/2021/81/IX-2/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2– महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस–ब–1/105 इन्द्रानगर, देहरादून।
3– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून।
7– वित्त नियत्रंक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय, देहरादून।
8– बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम प्रकाश आर्य)
अनु सचिव।